

प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 03.11.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 03.11.2026 को अभियोग में सजा करायी गयी है।

महिला एवं बालिका अपराध पर इटावा पुलिस का कड़ा प्रहार।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई।

1. थाना - भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 इटावा द्वारा नाबालिग बालिका से गलत कार्य करने वाले अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास व 63,000-63,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 टीआरसी कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त गणों को 20-20 वर्ष का कारावास व 63,000 - 63,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगणों द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 292/2021 अंतर्गत धारा 363/366 भादवि में पंजीकृत किया गया व दौरान विवेचना धारा 376(डी)/506 भादवि व 5जी/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री मुनीश्वर सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 जितेन्द्र सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्रीमती मंजू शाक्य द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 03.11.2026 को **मु0अ0सं0 292/2021 अंतर्गत धारा 363/366/376डी/506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्याया0 टीआरसी कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त गणों को 20-20 वर्ष का कारावास व 63000-63000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1.जीतू पुत्र शंकर बाल्मिकी निवासी मो0 काशीराम कॉलोनी थाना भरथना जनपद इटावा।

2. सागर पुत्र बाल्मिकि निवासी मो0 काशीराम कॉलोनी थाना भरथना जनपद इटावा।